

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

कमांक/ 1950 /स्था.अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023

भोपाल, दिनांक 25/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-8-5/2004/आ.प्र./एक दिनांक 31 मार्च 2005, परिपत्र कमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2013, परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 30 जून 2014 एवं समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2022 द्वारा निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अराजपत्रित सेवा, सेवा की शर्तें तथा भरती नियम, 2011 की अनुसूची-दो के अनुरूप विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 17.03.2023 एवं 28.03.2023 को आयोजित साक्षात्कार अनुसार सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना में उपयंत्री (सिविल) के पद पर सम्मुख दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 32800-103600 एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते पर उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदस्थता कार्यालय
01.	श्री उपेन्द्र सिंह भदौरिया आत्मज श्री प्रेम बाबू सिंह भदौरिया निवासी - वार्ड कमांक-38, नलकूप गली, जैन मंदिर के पास, अरेरा रोड़ भिण्ड म.प्र.(अस्थिबाधित श्रेणी)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भिण्ड (म.प्र.)
02.	श्री मुजीब हैदर आत्मज स्व.श्री नफीस हैदर निवासी- वार्ड नंबर-24, कृष्णापुरा बसौदा, विंग-बी 5 फ्लोर, गंज बासौदा, जिला विदिशा म.प्र.(अस्थिबाधित श्रेणी)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायसेन (म.प्र.)
03.	श्री जितेन्द्र शर्मा आत्मज श्री आत्माराम शर्मा निवासी-ई.50 तिरुपति अभिनव होम्स, दामखेड़ा, अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल म.प्र.(अस्थिबाधित श्रेणी)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सीहोर (म.प्र.)
04.	श्री प्रताप सिंह चौहान आत्मज श्री अर्जुन सिंह चौहान निवासी- 03, ईट कुंआ, बालाजी के बाजू में शिवाजी चौक, खण्डवा म.प्र. (श्रवणबाधित श्रेणी)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड हरदा (म.प्र.)
05.	श्री सौरभ त्रिपाठी आत्मज श्री एस.के.त्रिपाठी निवासी-23/106, मरिया माता स्कूल के सामने वाली गली में, चौबे कॉलोनी, छतरपुर म.प्र. (श्रवणबाधित श्रेणी)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निरंतर...02. कृ.प.उ.

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परीवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अधधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अधधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं अनुप्रमाणन फार्म पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
8. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
9. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।


 (एस.के.अंधवाण)
 प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...03.कृ.प.उ.

पृ.क./ 664/स्था.अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2022 भोपाल, दिनांक 25/04/2023
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, तुलसी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल नर्मदापुरम्/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड भिण्ड/रायसेन/सीहोर/हरदा/टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8. श्री उपेन्द्र सिंह भदौरिया आत्मज श्री प्रेम बाबू सिंह भदौरिया निवासी - वार्ड क्रमांक-38, नलकूप गली, जैन मंदिर के पास, अरेरा रोड़ भिण्ड म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री मुजीब हैदर आत्मज स्व.श्री नफीस हैदर निवासी- वार्ड नंबर-24, कृष्णापुरा बसौदा, विंग-वी 5 फ्लोर, गंज बासौदा, जिला विदिशा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10.श्री जितेन्द्र शर्मा आत्मज श्री आत्माराम शर्मा निवासी-ई.50 तिरुपति अभिनव होम्स, दामखेड़ा, अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 12.श्री प्रताप सिंह चौहान आत्मज श्री अर्जुन सिंह चौहान निवासी- 03, ईट कुंआ, बालाजी के बाजू में शिवाजी चौक, खण्डवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 13.श्री सौरभ त्रिपाठी आत्मज श्री एस.के.त्रिपाठी निवासी-23/106,मरिया माता स्कूल के सामने वाली गली में,चौबे कॉलोनी, छतरपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14.आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

कमांक/1949 /स्था.अराज./प.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023

भोपाल, दिनांक 25/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-8-5/2004/आ.प्र./एक दिनांक 31 मार्च 2005, परिपत्र कमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2013, परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 30 जून 2014 एवं समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2022 द्वारा निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अराजपत्रित सेवा, सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची-दो के अनुरूप विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 17.03.2023 एवं 28.03.2023 को आयोजित साक्षात्कार अनुसार सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर सम्मुख दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 32800-103600 एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते पर उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदस्थता कार्यालय
01.	श्री प्रखर शर्मा आत्मज श्री अजय शर्मा निवासी- पेंचव्हेली स्कूल के पास, वार्ड-16, न्यू चीप हाउस, परासिया जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र.(श्रवणबाधित श्रेणी)	कार्यालय सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
02. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टापपेंड के रूप में देय होगा। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परीवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

.....निरंतर...02. कृ.प.उ.

03. उक्त अभ्यर्थियों की परीचीक्षा अचधि, स्थाईकरण, वरिष्ठा, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अधधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अधधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
06. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं अनुप्रमाणन फार्म पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
08. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
09. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।


(एस.के.अधवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...03. क.प.उ.

//3//

भोपाल, दिनांक 25/04/2023

पृ.क./ 6641 /स्था.अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, तुलसी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. श्री श्री प्रखर शर्मा आत्मज श्रीव अजय शर्मा निवासी- पेंचव्हेली स्कूल के पास, वार्ड-16, न्यू चीप हादस, परासिया जिला छिन्दवाड़ा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता